

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

ज्ञापक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,

दिनांक.....

प्रेषित,


श्री जागेश्वर प्रसाद सिंह पुत्र स्व नथू सिंह ग्राम पो० सकरपुरा जिला मधेपुरा
विषय : शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
15 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2009	3	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०नं०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०नं०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक.....22...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिथुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संघारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,

भारतीय स्टेट बैंक, ए0डी0वी0, मधेपुरा, रीटेनर:- श्री विश्वनाथ प्रसाद, बैंकगार्ड स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
ए0डी0वी0, मधेपुरा,


विषय : शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण
स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
22 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2008	4	12	8

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के वेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।



जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....23...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संघारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,


विषय : श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह पुत्र चन्द्र शेखर सिंह ग्राम पो0 भिरखी वार्ड न0 1 मधेपुरा जिला मधेपुरा शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
28 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2009	3	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के वेबसाइट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।



जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....24...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिथुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुराको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,


विषय : अजय कुमार सिंह, पुत्र रामचन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम पो0 सुखासन चकला, थाना जिला-मधेपुरा
शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण
स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
29 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	1995	17	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।



जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....²⁵...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....^{12/12/13}.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,

विषय : श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल, पुत्र श्री तारणी प्रसाद मंडल, ग्राम चकला, लक्षीरामपुर, थाना+जिला-मधेपुरा शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
30 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	1998	14	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलावर्तगत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के वेबसाइट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

20
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....26...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

20
12/12/13
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,

श्री मुरलीधर प्रसाद सिंह अधिवक्ता, पे0- आदित्य प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0-मधेपुरा
विषय : शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
01 /83 (मधेपुरा थाना)	S.B.B.L GUN	2010	2	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

501
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....27...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....12/12/13.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संघारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

12/12/13
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,
दिनांक.....

प्रेषित,

श्री अभय कुमार सिंह, पे० श्री मृत्युजय नारायण सिंह, ग्राम भतरंघा, टोला परमानपुर,
थाना+जिला-मधेपुरा


विषय : शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
04 /83 (मधेपुरा थाना)	S.B.B.L GUN	-			

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०नं०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०नं०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-9(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से जिलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के वेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।



जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....²⁸...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....^{12/12/13}.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

